



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07022026-269922
CG-DL-E-07022026-269922

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 505]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 4, 2026/माघ 15, 1947

No. 505]

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 4, 2026/MAGHA 15, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 फरवरी, 2026

का.आ. 534(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि असम राज्य के कछार जिले में NH37 के दक.मी. 27+300 से दक.मी. 36+850 तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् अपर उपायुक्त, कछार को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

असम राज्य के कछार जिले में NH37 के कि.मी. 27+300 से कि.मी. 36+850 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: असम			जिले का नाम: कछार		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: कटिगोरा					
गांव का नाम: तेली टिकर पं॥ II (तालितिकर द्वितीय)					
1	265	निजी	कृषि (शैलूरा)	0.012 (हेक्टेयर)	0.012
2	266	निजी	कृषि (सैलुरा)	0.0459 (हेक्टेयर)	0.0459
3	267	निजी	कृषि (शैलूरा)	0.0898 (हेक्टेयर)	0.0898
4	277	निजी	कृषि (सैलुरा)	0.0595 (हेक्टेयर)	0.0595
5	281	निजी	कृषि (शैलूरा)	0.072 (हेक्टेयर)	0.072
6	282	निजी	कृषि (सैलुरा)	0.0744 (हेक्टेयर)	0.0744
7	283	निजी	कृषि (शैलूरा)	0.077 (हेक्टेयर)	0.077
8	284	सरकारी	गैर-कृषि (पतित)	0.0881 (हेक्टेयर)	0.0881
9	294	निजी	कृषि (सैलुरा)	0.002 (हेक्टेयर)	0.002
10	296	निजी	कृषि (शैलूरा)	0.0409 (हेक्टेयर)	0.0409
11	313	निजी	कृषि (शैलूरा)	0.0087 (हेक्टेयर)	0.0087
12	315	निजी	कृषि (सैलुरा)	0.0205 (हेक्टेयर)	0.0205
13	317	निजी	कृषि (शैलूरा)	0.0002 (हेक्टेयर)	0.0002
14	344	निजी	कृषि (सैलुरा)	0.0118 (हेक्टेयर)	0.0118
15	345	निजी	गैर कृषि (बारी)	0.0037 (हेक्टेयर)	0.0037
16	346	निजी	कृषि (चारा)	0.0044 (हेक्टेयर)	0.0044
17	348	निजी	कृषि (सैलुरा)	0.0059 (हेक्टेयर)	0.0059
18	353	निजी	कृषि (शैलूरा)	0.0082 (हेक्टेयर)	0.0082
19	375	निजी	कृषि (सैलुरा)	0.0241 (हेक्टेयर)	0.0241
20	383	निजी	कृषि (शैलूरा)	0.0156 (हेक्टेयर)	0.0156

21	384	निजी	गैर-कृषि (भीत)	0.0308 (हेक्टेयर)	0.0308
22	385	निजी	गैर-कृषि (बारी)	0.0558 (हेक्टेयर)	0.0558
23	387	निजी	गैर कृषि (पतित)	0.0535 (हेक्टेयर)	0.0535
24	388	निजी	कृषि (सैलूरा)	0.0203 (हेक्टेयर)	0.0203
25	389	निजी	कृषि (शैलूरा)	0.0061 (हेक्टेयर)	0.0061
26	390	निजी	कृषि (सैलूरा)	0.0051 (हेक्टेयर)	0.0051
27	391	निजी	कृषि (शैलूरा)	0.0294 (हेक्टेयर)	0.0294
28	392	निजी	कृषि (सैलूरा)	0.033 (हेक्टेयर)	0.033
29	396	निजी	कृषि (शैलूरा)	0.0411 (हेक्टेयर)	0.0411
30	397	निजी	कृषि (सैलूरा)	0.0033 (हेक्टेयर)	0.0033
31	399	निजी	कृषि (शैलूरा)	0.0009 (हेक्टेयर)	0.0009
32	404	निजी	कृषि (शैलूरा)	0.0045 (हेक्टेयर)	0.0045
गांव का नाम: करई कंडी पं। द्वितीय					
33	106	निजी	गैर-कृषि (बारी)	0.0736 (हेक्टेयर)	0.0736
34	119	निजी	कृषि (शैलूरा)	0.0028 (हेक्टेयर)	0.0028
35	120	निजी	कृषि (सैलूरा)	0.0016 (हेक्टेयर)	0.0016
36	121	निजी	कृषि (शैलूरा)	0.0004 (हेक्टेयर)	0.0004
37	127	निजी	कृषि (सैलूरा)	0.0316 (हेक्टेयर)	0.0316
38	131	निजी	कृषि (शैलूरा)	0.0685 (हेक्टेयर)	0.0685
39	132	निजी	कृषि (सैलूरा)	0.1805 (हेक्टेयर)	0.1805
40	133	निजी	कृषि (शैलूरा)	0.2823 (हेक्टेयर)	0.2823
41	134	निजी	कृषि (सैलूरा)	0.0216 (हेक्टेयर)	0.0216
42	137	निजी	कृषि (शैलूरा)	0.055 (हेक्टेयर)	0.055
43	138	निजी	कृषि (सैलूरा)	0.1728 (हेक्टेयर)	0.1728
44	144	निजी	कृषि (शैलूरा)	0.0085 (हेक्टेयर)	0.0085
45	145	निजी	कृषि (अचरौरा)	0.011 (हेक्टेयर)	0.011
46	146	निजी	कृषि (आचरा उरा)	0.0095 (हेक्टेयर)	0.0095
47	147	निजी	कृषि (अचरौरा)	0.0027 (हेक्टेयर)	0.0027
48	148	निजी	कृषि (आचरा उरा)	0.0041 (हेक्टेयर)	0.0041
49	150	निजी	कृषि (शैलूरा)	0.0087 (हेक्टेयर)	0.0087

50	151	निजी	कृषि (सैलुरा)	0.0069 (हेक्टेयर)	0.0069
51	152	निजी	कृषि (शैलूरा)	0.011 (हेक्टेयर)	0.011
52	153	निजी	कृषि (सैलुरा)	0.0265 (हेक्टेयर)	0.0265
53	154	निजी	कृषि (सैलुरा)	0.0027 (हेक्टेयर)	0.0027
54	155	निजी	कृषि (सैलुरा)	0.0139 (हेक्टेयर)	0.0139
55	173	निजी	कृषि (शैलूरा)	0.0075 (हेक्टेयर)	0.0075
56	190	निजी	कृषि (शैलूरा)	0.0024 (हेक्टेयर)	0.0024
57	191	निजी	कृषि (सैलुरा)	0.0103 (हेक्टेयर)	0.0103
58	192	निजी	कृषि (शैलूरा)	0.0028 (हेक्टेयर)	0.0028
59	196	निजी	कृषि (शैलूरा)	0.0057 (हेक्टेयर)	0.0057
60	203	निजी	कृषि (शैलूरा)	0.0825 (हेक्टेयर)	0.0825
61	204	निजी	कृषि (सैलुरा)	0.083 (हेक्टेयर)	0.083
62	220	निजी	कृषि (शैलूरा)	0.0805 (हेक्टेयर)	0.0805
63	227	सरकारी	कृषि (सैलुरा)	0.0353 (हेक्टेयर)	0.0353
64	228	निजी	गैर-कृषि (बारी)	0.0383 (हेक्टेयर)	0.0383
65	239	निजी	गैर कृषि (बारी)	0.0129 (हेक्टेयर)	0.0129
66	241	निजी	गैर कृषि (बारी)	0.0424 (हेक्टेयर)	0.0424
67	242	निजी	गैर-कृषि (बारी)	0.031 (हेक्टेयर)	0.031
68	243	निजी	गैर कृषि (बारी)	0.0277 (हेक्टेयर)	0.0277
69	247	निजी	गैर-कृषि (पतित)	0.0194 (हेक्टेयर)	0.0194
70	248	निजी	कृषि (चारा)	0.0312 (हेक्टेयर)	0.0312
71	249	निजी	कृषि (चारा)	0.064 (हेक्टेयर)	0.064
72	250	निजी	गैर-कृषि (पतित)	0.0361 (हेक्टेयर)	0.0361
73	251	निजी	कृषि (शैलूरा)	0.04 (हेक्टेयर)	0.04
74	252	निजी	कृषि (सैलुरा)	0.0275 (हेक्टेयर)	0.0275
75	253	निजी	कृषि (शैलूरा)	0.0245 (हेक्टेयर)	0.0245
76	254	निजी	कृषि (सैलुरा)	0.0332 (हेक्टेयर)	0.0332
77	255	निजी	कृषि (शैलूरा)	0.0526 (हेक्टेयर)	0.0526
78	256	निजी	कृषि (सैलुरा)	0.0238 (हेक्टेयर)	0.0238
79	258	निजी	कृषि (शैलूरा)	0.0622 (हेक्टेयर)	0.0622
80	260	निजी	कृषि (सैलुरा)	0.0206 (हेक्टेयर)	0.0206

81	261	निजी	कृषि (शैलूरा)	0.0025 (हेक्टेयर)	0.0025
82	265	निजी	कृषि (सैलुरा)	0.0359 (हेक्टेयर)	0.0359
83	268	निजी	कृषि (शैलूरा)	0.0043 (हेक्टेयर)	0.0043
84	269	निजी	कृषि (सैलूरा)	0.0063 (हेक्टेयर)	0.0063
85	280	निजी	कृषि (चारा)	0.1159 (हेक्टेयर)	0.1159
86	79	निजी	कृषि (शैलूरा)	0.0029 (हेक्टेयर)	0.0029
Total					3.0099

[फा. सं. 258287/3A]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 3rd February, 2026

S.O. 534(E).— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation of NH37 in the stretch of land from Km 27+300 to Km 36+850 in the district of Cachar in the State of Assam, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Additional Deputy Commissioner, Cachar in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling NH37 in the stretch of land from Km 27+300 to Km 36+850 in the district of Cachar in the State of Assam.

State: ASSAM			District: CACHAR		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
Taluk: Katigora					
Village: Teli Tikar Pt II(Talitikar II)					
1	265	Private	Agriculture (Shailura)	0.012 (Hectare)	0.012
2	266	Private	Agriculture (Sailura)	0.0459 (Hectare)	0.0459
3	267	Private	Agriculture (Shailura)	0.0898 (Hectare)	0.0898
4	277	Private	Agriculture (Sailura)	0.0595 (Hectare)	0.0595

5	281	Private	Agriculture (Shailura)	0.072 (Hectare)	0.072
6	282	Private	Agriculture (Sailura)	0.0744 (Hectare)	0.0744
7	283	Private	Agriculture (Shailura)	0.077 (Hectare)	0.077
8	284	Government	Non-Agriculture (Patit)	0.0881 (Hectare)	0.0881
9	294	Private	Agriculture (Sailura)	0.002 (Hectare)	0.002
10	296	Private	Agriculture (Shailura)	0.0409 (Hectare)	0.0409
11	313	Private	Agriculture (Shailura)	0.0087 (Hectare)	0.0087
12	315	Private	Agriculture (Sailura)	0.0205 (Hectare)	0.0205
13	317	Private	Agriculture (Shailura)	0.0002 (Hectare)	0.0002
14	344	Private	Agriculture (Sailura)	0.0118 (Hectare)	0.0118
15	345	Private	Non Agriculture (Bari)	0.0037 (Hectare)	0.0037
16	346	Private	Agriculture (Chara)	0.0044 (Hectare)	0.0044
17	348	Private	Agriculture (Sailura)	0.0059 (Hectare)	0.0059
18	353	Private	Agriculture (Shailura)	0.0082 (Hectare)	0.0082
19	375	Private	Agriculture (Sailura)	0.0241 (Hectare)	0.0241
20	383	Private	Agriculture (Shailura)	0.0156 (Hectare)	0.0156
21	384	Private	Non-Agriculture (Bhit)	0.0308 (Hectare)	0.0308
22	385	Private	Non-Agriculture (Bari)	0.0558 (Hectare)	0.0558
23	387	Private	Non Agriculture (Patit)	0.0535 (Hectare)	0.0535
24	388	Private	Agriculture (Sailura)	0.0203 (Hectare)	0.0203
25	389	Private	Agriculture (Shailura)	0.0061 (Hectare)	0.0061
26	390	Private	Agriculture (Sailura)	0.0051 (Hectare)	0.0051
27	391	Private	Agriculture (Shailura)	0.0294 (Hectare)	0.0294
28	392	Private	Agriculture (Sailura)	0.033 (Hectare)	0.033
29	396	Private	Agriculture (Shailura)	0.0411 (Hectare)	0.0411
30	397	Private	Agriculture (Sailura)	0.0033 (Hectare)	0.0033
31	399	Private	Agriculture (Shailura)	0.0009 (Hectare)	0.0009
32	404	Private	Agriculture (Shailura)	0.0045 (Hectare)	0.0045
Village: Karai Kandi Pt II					
33	106	Private	Non-Agriculture (Bari)	0.0736 (Hectare)	0.0736
34	119	Private	Agriculture (Shailura)	0.0028 (Hectare)	0.0028
35	120	Private	Agriculture (Sailura)	0.0016 (Hectare)	0.0016
36	121	Private	Agriculture (Shailura)	0.0004 (Hectare)	0.0004
37	127	Private	Agriculture (Sailura)	0.0316 (Hectare)	0.0316
38	131	Private	Agriculture (Shailura)	0.0685 (Hectare)	0.0685
39	132	Private	Agriculture (Sailura)	0.1805 (Hectare)	0.1805
40	133	Private	Agriculture (Shailura)	0.2823 (Hectare)	0.2823
41	134	Private	Agriculture (Sailura)	0.0216 (Hectare)	0.0216
42	137	Private	Agriculture (Shailura)	0.055 (Hectare)	0.055
43	138	Private	Agriculture (Sailura)	0.1728 (Hectare)	0.1728
44	144	Private	Agriculture (Shailura)	0.0085 (Hectare)	0.0085
45	145	Private	Agriculture (Achraura)	0.011 (Hectare)	0.011
46	146	Private	Agriculture (Achra ura)	0.0095 (Hectare)	0.0095
47	147	Private	Agriculture (Achraura)	0.0027 (Hectare)	0.0027
48	148	Private	Agriculture (Achra ura)	0.0041 (Hectare)	0.0041
49	150	Private	Agriculture (Shailura)	0.0087 (Hectare)	0.0087
50	151	Private	Agriculture (Sailura)	0.0069 (Hectare)	0.0069
51	152	Private	Agriculture (Shailura)	0.011 (Hectare)	0.011

52	153	Private	Agriculture (Sailura)	0.0265 (Hectare)	0.0265
53	154	Private	Agriculture (Sailura)	0.0027 (Hectare)	0.0027
54	155	Private	Agriculture (Sailura)	0.0139 (Hectare)	0.0139
55	173	Private	Agriculture (Shailura)	0.0075 (Hectare)	0.0075
56	190	Private	Agriculture (Shailura)	0.0024 (Hectare)	0.0024
57	191	Private	Agriculture (Sailura)	0.0103 (Hectare)	0.0103
58	192	Private	Agriculture (Shailura)	0.0028 (Hectare)	0.0028
59	196	Private	Agriculture (Shailura)	0.0057 (Hectare)	0.0057
60	203	Private	Agriculture (Shailura)	0.0825 (Hectare)	0.0825
61	204	Private	Agriculture (Sailura)	0.083 (Hectare)	0.083
62	220	Private	Agriculture (Shailura)	0.0805 (Hectare)	0.0805
63	227	Government	Agriculture (Sailura)	0.0353 (Hectare)	0.0353
64	228	Private	Non-Agriculture (Bari)	0.0383 (Hectare)	0.0383
65	239	Private	Non Agriculture (Bari)	0.0129 (Hectare)	0.0129
66	241	Private	Non Agriculture (Bari)	0.0424 (Hectare)	0.0424
67	242	Private	Non-Agriculture (Bari)	0.031 (Hectare)	0.031
68	243	Private	Non Agriculture (Bari)	0.0277 (Hectare)	0.0277
69	247	Private	Non-Agriculture (Patit)	0.0194 (Hectare)	0.0194
70	248	Private	Agriculture (Chara)	0.0312 (Hectare)	0.0312
71	249	Private	Agriculture (Chara)	0.064 (Hectare)	0.064
72	250	Private	Non-Agriculture (Patit)	0.0361 (Hectare)	0.0361
73	251	Private	Agriculture (Shailura)	0.04 (Hectare)	0.04
74	252	Private	Agriculture (Sailura)	0.0275 (Hectare)	0.0275
75	253	Private	Agriculture (Shailura)	0.0245 (Hectare)	0.0245
76	254	Private	Agriculture (Sailura)	0.0332 (Hectare)	0.0332
77	255	Private	Agriculture (Shailura)	0.0526 (Hectare)	0.0526
78	256	Private	Agriculture (Sailura)	0.0238 (Hectare)	0.0238
79	258	Private	Agriculture (Shailura)	0.0622 (Hectare)	0.0622
80	260	Private	Agriculture (Sailura)	0.0206 (Hectare)	0.0206
81	261	Private	Agriculture (Shailura)	0.0025 (Hectare)	0.0025
82	265	Private	Agriculture (Sailura)	0.0359 (Hectare)	0.0359
83	268	Private	Agriculture (Shailura)	0.0043 (Hectare)	0.0043
84	269	Private	Agriculture (Sailura)	0.0063 (Hectare)	0.0063
85	280	Private	Agriculture (Chara)	0.1159 (Hectare)	0.1159
86	79	Private	Agriculture (Shailura)	0.0029 (Hectare)	0.0029
Total					3.0099

[F. No. 258287/3A]

SHAIKH AMINKHAN, Director